एसोचैम उ.प्र./2010-11/एफ-46/ 03 मार्च, 2011

आयुक्त,
वाणिज्य कर, उ0 प्र0,
वाणिज्य कर भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः पैकिंग माल को परिभाषित करने के लिए

प्रिय महोदय,

यू0पी0 वैट अधिनियम के अन्तर्गत किसी फैक्ट्री द्वारा पैकिंग के माल को खरीदने पर ITC को उत्पादित माल को सेट आफ के द्वारा चार्ज करने का प्राविधान है किंतु यदि कोई कारखाना पैकिंग माल को अपने यहाँ कच्चे माल (Packing Material) को खरीदकर पैकिंग नहीं बनाता है तो उसे ITC का क्रेडिट नहीं मिलता है। अतः ऐसी इकाईयां कच्चे माल को यू0पी0 से न लेकर यू0पी0 के बाहर राज्यों से खरीदती है तथा वैट को नहीं चुकाती है। जिससे स्थानीय व्यापारियों का व्यापार लगभग रूक जाता है। इस वजह से वे उद्योग जो पैकिंग माल को बनाती हैं और बेचती हैं उ0 प्र0 में रूग्ण होती जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार को भी धनराशि नहीं प्राप्त हो पाती है और इसका नुकसान हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं -

1. मेसर्स Gail India (P) Ltd., जो कि (भारत सरकार की एक नवरत्न कम्पनी है) पाटा (जिला - औरेया, यू0पी0) स्थित प्रान्त में एच0डी0पी0ई0 (HDPE) प्लास्टिक दानों का उत्पादन करती है। ये दानें एच0डी0पी0ई0 कन्टेनरस बनाने में इस्तेमाल होता है।

कानपुर तथा वाराणसी स्थित बहुत सी वनस्पति, तेल, उत्पादक स्वयं एच0डी0पी0ई0 कन्टेनरस जो कि Gail India से प्लास्टिक के दानों को लेकर बनाते है तथा 5 प्रतिशत वैट लेकर विक्रय करते हैं।

प्लास्टिक के दानें जो कि यू0पी0 से खरीदे जाते है, उनको वैट से कोई छूट नहीं प्राप्त होती है। अतः वनस्पति, तेल इत्यादि के निर्माता ने यू0पी0 के बाहर अन्य राज्यों से खरीदते हैं जिससे यू0पी0 सरकार को वैट की हानि होती है।

1. बहुत से एफ0एम0सी0जी0 निर्माता अपने डिब्बों का निर्माण स्वयं करते है। यदि ये इसमें इस्तेमाल होने वाले कागज को यू0पी0 की मिलों से लेते है उन्हें वैट के अन्तर्गत सेट आफ से छूट नहीं प्राप्त होता है। अतः वे यू0पी0 के बाहर स्थित मिलों से कागज का क्रय करते है।

2. सरसों के तेल के निर्माता प्लास्टिक की बोतलों में पैक करके भेजते हैं। जिसे वे स्वयं निर्मित करते हैं किंतु वे पैक यू0पी0 की फैक्टरियों से न लेकर बाहर की फैक्टरियों से खरीदते हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों से यह साफ पता चलता है कि यू0 पी0 के उद्योगों से माल न खरीदकर बाहर से खरीदने पर बाहर से यू0पी0 को तो वैट से प्राप्त होने वाली राशि का नुकसान तो होता ही है, राज्य स्थित इकाईयों को भी रूग्णता प्राप्त होती है।

अतः मामले में शीघ्राति शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिये निम्न कार्यवाही आवश्यक है -

1. पैकिंग माल की परिभाषा में उस कच्चे माल को भी शामिल किया जाए जिससे ये निर्मित होता है।
2. तैयार माल में पैकिंग माल/ इसके कच्चे माल का मूल्य भी शामिल होता है। अतः इससे यदि उपरोक्त कार्यवाही की जाती है तो वैट की धनराशि का कोई भी नुकसान नहीं होता है।

अतः हमारी आपसे पुनः प्रार्थना है कि आवश्यक कार्यवाही कर वैट के अधिनियम में उचित संशोधन करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीय

(एस0 बी0 अग्रवाल)
महासचिव

प्रतिलिपि -

1. अधिशासी निदेशक,
   उद्योग बन्धु, लखनऊ

2. प्रमुख सचिव,
   कर निबन्धन, लखनऊ।

3- Shri Shobit Srivastava
   J. J. Packagers (P) Ltd.,Varanasi